बूचड़खाने की दुर्गन्ध में अपनी खोई सियासी ज़मीन तलाशते विधायक नगेंद्र

फ़रीदाबाद (म.मो.) चौटाला पार्टी के टिकट पर एनआईटी क्षेत्र से चुनाव जीत कर विधायक बने नगेन्द्र भड़ाना पाली गांव में प्रस्तावित बूचड़खाने में अपनी खोयी सियासी ज़मीन तलाशने में लगे हैं। विदित है कि विधायक बनते ही भड़ाना खट्टर सरकार की गोद में जा बैठे थे। अपने क्षेत्र में खट्टर की बड़ी रैली आयोजित करने के अलावा उन्होंने राज्यसभा चुनाव में अपनी (चौटाला) पार्टी के फ़ैसले के विरुद्ध भाजपाई उम्मीदवार सुभाष चन्द्रा को वोट दिया था। दूसरी ओर विधायक बनने के बाद चौटालों की कोई रैली अपने यहां कराना तो दूर कभी उन्हें सलाम तक करने नहीं पहुंचे भड़ाना जी। जाहिर है ऐसे में चौटाला परिवार तो उन्हें अगली बार टिकट देने से रहा।

जानकार मानते हैं कि खट्टर ने नगेन्द्र को विश्वास दिलाया था कि आगामी चुनाव में वे उन्हें भाजपा की टिकट दिलाने का प्रयास करेंगे। टिकट के इसी आश्वासन व सत्ता में भागीदारी के चलते भड़ाना जी विपक्षी विधायक होने का दायित्व तो भूल गये और सत्ता से वे अपने क्षेत्रवासियों को कुछ दिला नहीं पाये। इसलिये अब चुनावी मौसम निकट आता देखकर उन्हें अपनी राजनीतिक भविष्य की चिन्ता सताने लगी है।

बीते पौने चार साल में उन्हें अपने क्षेत्र की दुर्दशा कभी नज़र नहीं आई। विपक्षी नेता के नाते उन्होंने अपनी जनता के दुख-दर्द के लिये कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई। क्षेत्र के तमाम सरकारी स्कूलों की हालत बद से बद्तर होती चली गयी वे कभी नहीं बोले, क्षेत्र के सरकारी डिस्पेंसरियों में कोई स्टाफ़ ड्यूटी पर आये न आये डिलिवरी के लिये महिलायें भटकती फ़िरें, उन्हें कोई सरोकार नहीं। जगह-जगह गंदगी के ढेर सड़ते हैं तो सड़ते रहें, गलियों में सीवर का पानी सड़ांध मार रहा है तो मारे, पीने का पानी माफ़ियाओं से खरीद कर जनता पीती रही लेकिन विधायक महोदय उदासीन बने रहे।

दरअसल राजनीति का सिद्धांत है कि सत्तारुढ़ दल का विधायक अपने दबाव से जनता के लिये कुछ कर सकता है लेकिन विपक्षी विधायक जनांदोलन के बल पर सरकार से बहुत कुछ करा लेते हैं। लेकिन भड़ाना ने दो नावों की सवारी ऐसी की कि न माया मिली न राम, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। न तो ये आंदोलन ही कोई खड़ा कर पाये और न ही सरकार पर निजी दबाव बना पाये। अब आखिरी दिनों में इन्होंने आंदोलन का मुद्दा पकड़ा भी तो पाली में प्रस्तावित बूचड़खाने का। मजे की बात तो यह है कि 11 अप्रैल 2018 को इसके निर्माण को रोकने व कहीं दूसरे स्थान पर बनाने का प्रस्ताव नगर निगम में पास हो गया था। इसके पीछे जन असंतोष के साथ केन्द्र सरकार के खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग का एक पत्र भी था जिसमें पाली की जगह को उचित नहीं माना गया था। अब इस मरे हुये सांप को गले में लटका कर भड़ाना जी जनता के लिये जहर चूसने वाले सपेरे के रूप में स्थापित होना चाहते हैं। परन्तु आज की जनता इतनी मूर्ख नहीं रह गयी है।

ग़नीमत है, मंदसौर में किसी ने कठुआ की तरह बलात्कारी जानवरों के लिए तिरंगा मार्च का आयोजन नहीं किया

अंजली मिश्रा

मध्य प्रदेश के मंदसौर में 7 साल की बच्ची के साथ जैसी ज्यादती की गई है उसे पढ़ कर रूह कांप जाए। पिता सिर्फ 10 मिनट देर से स्कूल पहुचा और आरोपी ने उसे अपना शिकार बना लिया।

बच्ची की हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर भी उस स्थिति में एक छोटी सी बच्ची को कराहते देख सहम गए। 7 घंटे उसकी सर्जरी चली। रेक्टम (मलाशय) बुरी तरह फट चुका है। प्राइवेट पार्ट लहूलुहान है। प्राइवेट पार्ट को संक्रमण से बचाने और रेक्टम से मोशन पास होने आतो को काट कर रास्ता बनाना पड़ा है। जगह जगह पूरे शरीर पर दांतो से काटने के निशान हैं। नाक पर जख्म इतने गहरे है कि ट्यूब लगानी पडी और मुह के घावों को ढकने के लिए ल्यूकोप्लास्टी की गई है। सुनो और जानो और महसूस करो उसके दर्द को।

इंसान कितना घिनौना हो सकता है उसकी सारी हैवानियत उस बच्ची के शरीर पर दर्ज है। कोई भी माँ बाप जिनकी बच्ची है वो इस तरह की घटनाएं होने से सहम जाते हैं। बेटी क्यों पैदा करना इस देश में जहा उसकी सुरक्षा न हो सके। माँ पथराई आँखों से उसे लगातार एकटक देख रही कि वो होश में आ जाए बच्ची कुछ नहीं बोल रही। रात से सुबह तक एक करवट लिए बच्ची बेजान पडी रही । बाप की मांग है कि उस दरिंदे को फ़ासी हो बीच सड़क।

पुलिस रात दिन धार्मिक जुलूस की व्यवस्था और नेताओ की सभा में भीड़ इकट्ठी करने में जुटी रहती है। पुलिस और जज कितने बार कह चुके हैं कि उनकी संख्या बहुत कम है, नई भर्ती होनी चाहिए लेकिन लगता है, कानून व्यवस्था का अब ि कसी को डर नहीं रहा। हर अपराधी इस हद तक दरिंदगी कर के भी बच जाएगा, ऐसा मानो उसे विश्वास है और पकड़ा भी गया तो भी वो सजा से भयभीत नहीं दिखता।

आरोपी की पहचान हो गई है । काश सही आरोपी ही पकड़ा गया हो। सोशल मीडिया में उस बच्ची की बिना सोचे समझे पहचान उजागर कर दी गई।

सरकार इंदिरा और नेहरू की कमिया ढूंढने में व्यस्त है। भारत को महिलाओ के लिए सबसे असुरक्षित कहा गया, उसपर चिल्ल पो मची हुई है। हम दूसरे देशों से तुलना कर रहे। जिन देशों में युद्ध होते है, वहां महिलाये सबसे ज्यादा रेप की शिकार होती ऐसा माना जाता लेकिन मेरे देश में सिर्फ वैचारिक युद्ध लड़ा जा रहा। इस अघोषित युद्ध से हालात में बच्चियां रोज शिकार हो रहीं। तमाशबीन सरकार दूसरी सरकारों की गलतियां गिनाने से फुर्सत पाए तो शायद कानून व्यवस्था की सुध ले।

जीवा स्कूल में कार्यशाला - परस्पर दोषारोपण तो बहुत हो लिया, कैसे सुनिश्चित हो स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा ?

विवेक की विशेष रिपोर्ट

स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर जल्द ही भारत सरकार व्यापक गाइडलाइन्स जारी करने जा रही है। इन पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी लगी होगी। क्या इस कवायद से स्कूली बच्चों की सुरक्षा का मसला, हल हो जाएगा ? क्या सभी सम्बंधित पक्ष इससे संतुष्ट हो पायेंगे ?

पिछले साल गुरग्राम के रेयान स्कूल में जिस तरह 8 साल के मासूम की निजी स्कूल में हत्या कि गई थी, ठीक वैसा ही सनसनीखेज मामला हाल में गुजरात के व ?ोदरा में सामने आया है। 22 जून को सुबह भारती स्कूल के बाथरूम में नवीं कक्षा के छात्र देव तडवी का शव लहुलुहान अवस्था में मिला। पुलिस को हत्या का शक सहपाठी पर है जिसके स्कूल बैग से धारदार हथियार, मिर्ची पाउडर, पंच सहित कई संदिग्ध सामन मिले हैं।

इसी के समानांतर, दिल्ली कोर्ट ने एक छात्र से मानसिक हिंसा के वर्ष 2012 के मामले में दिल्ली स्थित ओपीजी स्कूल के निदेशक और प्रिंसिपल को दो महीने कैद के साथ पीड़ित बच्चे को 2.5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया। तीसरी कक्षा के एक बच्चे को समय पर फीस न देने पर क्लास से बाहर निकाल दिया गया था। कोर्ट ने आदेश में कहा कि कोई भी स्कूल किसी भी कारण से बच्चे को क्लास से बाहर नहीं कर सकता।

नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के अनुसार हर वर्ष 26000 भारतीय विद्यार्थी हिंसा, अवसाद व तनाव से ग्रस्त हो कर अपनी जान गँवा देते हैं। इनके कारणों में, अध्यापकों का बच्चों के प्रति खराब व्यवहार, अभिभावकों की बच्चों के प्रति कमजोर देखरेख और घरेलू हिंसा के साथ साथ आपसी हिंसा को चिन्हित किया गया है।

मई माह में उच्चतम न्यायालय ने गुरुग्राम के उपरोक्त बहुचर्चित रेयान इंटरनेशनल हत्याकांड मामले में भारत सरकार को तीन महीने के भीतर देश के सभी विद्यालयों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक गाइडलाइन बनाने का निर्देश दिया। देर-सबेर, आशंका है, ये गाइडलाइन सभी सम्बंधित पक्षों को और अनिश्चित करने का ही काम करेंगी। क्योंकि पुराना अनुभव बताता है कि ज्यादातर ऐसी गाइडलाइन अव्यवहारिक होती हैं, जो जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं।

विद्यालयों में बच्चों की शारीरिक और मानसिक असुरक्षा के साथ ही हिंसा के मामले आम होते जा रहे हैं। एक तरफ स्कूल अपनी फीस के आगे इन मुद्दों से कोई सरोकार नहीं रखते और ज्यादातर मामलों में बच्चों की परवरिश पर दोष दे कर बचते हैं तो दूसरी तरफ अभिभावक सारा दोष स्कूल प्रशासन की लचर व्यवस्था के खाते में डाल अपना हाथ झाड़ लेते हैं। जबकि सरकारी मशीनरी महज दंडात्मक लीपापोती से काम चलाना चाहती है। इस मुद्दे पर हरियाणा के पूर्व डीजीपी एवं राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के पूर्व निदेशक विकास नारायण राय के साथ मिल कर सेक्टर 21 स्थित जीवा स्कूल एवं 'हरियाणा प्राइवेट स्कूल काउन्सिल' ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। विषय था "चिल्ड्रन सिक्यूरिटी एंड एजुकेशन सिस्टम", और उद्देश्य था कि कार्यशाला से निकले निष्कर्षों को भारत सरकार को भेजकर उनसे प्रस्तावित गाइडलाइन में शामिल करने का अनुरोध करना।

कार्यशाला की खूबसूरती रही कि इसमें स्कूल प्रशासन के साथ साथ अभिभावकों, अभिभावक संघ, विद्यार्थियों और स्कूलों के प्रिंसिपलों ने भी शिरकत की। सत्र के प्रारंभ में ही विकास नारायण राय ने समाज में इस समस्या के चार मुख्य (ABCD)

आयाम- एक्सीडेंट, बुली करना, क्रिमिनल असॉल्ट, ड्रग्स, और चार (ABCD) समाधान- अवेयरनेस, बाईपार्टीजान एप्रोच, काऊंसलिंग, डीब्रीफिंग, पेश किये। इसके बाद खुले मंच पर सभी पक्षों से सवालों और सुझावों को आमंत्रित किया गया।

25 वर्षीय माही की बतौर अभिभावक चिंता का कारण स्कूलों में बच्चों के द्वारा लाये जाने वाले हथियार हैं। उनके सवाल कि क्या इसपर स्कूल में किसी सजा का प्रावधान भी है का जवाब जीवा स्कूल के प्रबंधक ऋषिपाल चौहान ने देते हुए कहा, कोई भी सजा देने का अधिकार न्यायालय को है; स्कूल, इसमें अनुशासनिक हस्तक्षेप से अधिक कुछ नहीं कर सकता।

एचएसपीसी के जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्रा ने बच्चों को नैतिक के साथ साथ संस्कारी होने पर बल दिया। उनके अनुसार यदि बच्चों को घरों से उचित संस्कार प्रदान किये जाएँ तो कई तरह की असुरक्षाओं पर काबू पाया जा सकता है।

पुलिस की भूमिका पर बोलते हुए एचएसपीसी के राज्य अध्यक्ष और डिवाइन पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 फरीदाबाद के निदेशक एसएस गोसाईं ने कहा कि पुलिस ज्यादातर मामलों में राजनैतिक व्यक्तियों और मीडिया के दबाव में काम करती है। स्वाभाविक और प्रोफेशनल तरीके से दायित्वों का निर्वहन न करने से भी मामले कई बार बिगड़ते हैं। इसलिए मीडिया की जिम्मेवारी भी तय की जानी चाहिए, साथ ही राजनैतिक दबाव से पुलिस को मुक्त रखा जाना चाहिए।

डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमिशन के अध्यक्ष एच एस मलिक का मत था कि आज का भारतीय समाज आदर्शों की कमी से जूझ रहा है। जिस समाज में आदर्श न हों वहाँ का नवयुवक भटक जाता है। जरूरत है नए सिरे से आदर्श तैयार करने की। मलिक ने अभिभावकों को स्कूल पर भरोसा करने एवं बच्चों पर स्कूल को कुछ अधिकार देने की बात कही। साथ ही इस बात पर बल दिया कि किसी दुर्घटना की स्थिति में तात्कालिक रूप से जिम्मेवार व्यक्ति को सजा मिले बजाय संस्थान प्रमुख को।

रमेश राणा सेक्टर 14 गुरुग्राम स्थित हेल्थ एंड ब्यूटी विलेज के निदेशक के साथ साथ अभिभावक संघ के सक्रिय सदस्य भी हैं। उनके अनुसार हमारी शिक्षा व्यवस्था एक मशीन का रूप धारण कर चुकी है जिसमे बच्चों का भी मशीनीकरण हो रहा है। आज आवश्यकता है इस व्यवस्था को मानवीय मूल्यों पर आधारित
शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने की।

अभिभावक दीर्घा से सुरक्षा को एक विषय के रूप में पढ़ाने का सुझाव आया। इसमें सकारात्मक संशोधन करते हुए विकास नारायण राय ने सुरक्षा के मुद्दे को स्कूल के नियमित प्रोटोकाल का हिस्सा बनाने पर बल दिया। इसी तर्ज पर जीवा स्कूल में स्वाध्याय कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है जो विद्यार्थियों को स्व-अनुशासित होने में मदद करता है।

जीवा प्रिंसिपल देविका निगम का कहना था कि स्कूल के पास सीमित संसाधन होने के नाते सभी तरह की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लागू कर पाना चुनौतीपूर्ण है, परंतु हर माह सुरक्षा और बेहतर शिक्षा व्यवस्था पर स्कूलों में सम्मिलित सेमिनार आयोजित हों।

कार्यशाला में सुरक्षा से जुड़े मानकों की सूची तैयार करने का काम सुप्रीम कोर्ट के वकील मोहित कुमार भंडारी ने किया जिसे भविष्य में भारत सरकार को ज्ञापन स्वरूप सौंपा जाना तय हुआ। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं-

- बच्चों का स्कूल बैग सुरक्षित हो, यह सुनिश्चित करना।
- स्कूल के खतरे की संभावना वाले हिस्से में सीसीटीवी।
- स्कूल के हर कोने का नियमित सुरक्षा निरीक्षण। साथ ही स्कूल का नियमित सुरक्षा ऑडिट भी कराया जाए।
- स्कूल की एक कमेटी हो जो बच्चों के बीच हिंसा की रोकथाम पर लगातार काम करे।
- स्कूल की एक अन्य कमेटी भी बने जिसमे प्रिंसिपल, एक वरिष्ठ शिक्षक, एक वरिष्ठ स्टाफ, सिविल कांट्रेक्टर, इलेक्ट्रीशियन एवम प्लम्बर शामिल हों जो

आपातकाल की स्थिति में तुरंत एक्शन ले सकें।

- 'न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन' के तर्ज पर स्कूलों को पूर्ण क्लास रूम स्वायत्तता दी जाए और साथ ही उनकी पूर्ण जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जाए।
- स्कूलों में सुरक्षा पर नियमित अंतराल पर कार्यशाला का आयोजन किया जाए और साथ ही इसे तमाम स्कूल स्टाफ की ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाया

जाए। स्कूल स्टाफ ही बच्चों की सुरक्षा का प्रथम फ्रंटियर है।

- स्कूल स्टाफ को पूर्ण भागीदार बताने वाले सार्वजनिक मंच विकसित किये जायें। इसके लिए स्कूलों की ओर से 'सुरक्षा दौड़' या 'धन्यवाद दिवस' जैसे
आयोजन हों जिससे शहर वासियों और मीडिया को इनके योगदान का पता चले।
- नियुक्ति के समय ही प्रिंसिपल और अध्यापक को संवेदित किया जाए कि सुरक्षा आयामों में चूक एक दोष माना जाएगा।
- जैसे वकीलों या डाक्टरों के मामलों में प्राथमिक जांच के लिए उनकी अपनी पेशेवर समिति होती हैं, अध्यापकों के विरुद्ध प्राथमिक जांच के लिए भी अध्यापकों की समिति हो।